

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(विकास शाखा)

:- इच्छा की अभिव्यक्ति :-

खूँटी शहर में 13, मुरहू में 05 तथा कर्मा में 06, कुल 24 (चौबीस) चयनित स्थानों पर CC TV कैमरा अधिष्ठापित करते हुए इसे नियंत्रण कक्ष से सम्बद्ध कर संचालित कराया जाना है। उक्त कार्य में अनुमानित लागत मो0 1200000.00 (बारह लाख) रू. मात्र है।

अतः CC TV कैमरा के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु अधिकृत एवं इच्छुक फर्म/बिक्रेता से बंद लिफाफे में इच्छा के अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है।

इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने का स्थान :- कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी।

इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अन्तिम तिथि :- 30/08/2017, समय 02:00 बजे अपराहन तक।

इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने का स्थान :- उप विकास आयुक्त का कार्यालय, खूँटी।

इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि :- 30/08/2017, अपराहन 03:00 बजे।

इच्छा की अभिव्यक्ति के शर्तें एवं CC TV Camera अधिष्ठापन के स्थान से संबंधित सूची खूँटी जिले के वेब साईट www.khunti.nic.in में देखा जा सकता है।

ह०/-

उप विकास आयुक्त
खूँटी।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता का GST/CST/JST/VAT/TIN नम्बर एवं इसका सफाया प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ निविदादाता को 20,000/- (बीस हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, उप विकास आयुक्त, खूँटी के पदनाम से (Payable at Khunti) समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उक्त उपस्कर को मुख्यालय तक पहुँचाने एवं उसे अधिष्ठापित करने के लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क/फिटिंग चार्ज इत्यादि देय नहीं होगा।
4. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में समर्पित करना आवश्यक है। जिस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड लिखा हो।
5. निविदा के साथ निविदादाता को आयकर सफाया प्रमाण-पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
6. निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. काली सूची में दर्ज निविदादाता के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ तत्संबंध लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा दिनांक 30/08/2017 को अपराहन 02:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी में जमा करना होगा। इस अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उक्त तिथि को ही अपराहन 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा, जिसमें निविदा अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. सभी उपस्कर मानक स्तर का तथा ब्राण्डेड कम्पनियों का होना आवश्यक है।
10. सभी सामानों का दर सभी कर/परिवहन/फिटिंग चार्ज सहित देना अनिवार्य है।
11. कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र, खूँटी होगा।

अनुलग्नक:- CC TV Camera अधिष्ठापन
के स्थान से संबंधित सूची।

MS
19.08.17
उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

खूँटी शहरी क्षेत्र :-

1. पिपरा टेली (स्ट्रीट लाईट खम्भा पर)
2. सुभाष चन्द्र चौक (स्ट्रीट लाईट खम्भा पर)
3. डी0ए0वी0 रोड पुराना आई0बी0 (टाउन हॉल) के पास
4. भट्टी रोड (चौक पर)
5. कर्रा रोड मस्जिद के आगे (स्ट्रीट लाईट खम्भा मंदिर के पास)
6. भगत सिंह चौक (स्ट्रीट लाईट खम्भा पर)
7. लोयला स्कूल के पास
8. बजार टांड (स्ट्रीट लाईट खम्भा पर)
9. तमाड़ रोड जेल गेट के पास
10. कचहरी मैदान के पास (स्ट्रीट लाईट खम्भा पर)
11. उपायुक्त कार्यालय गेट न0 - 1
12. तोरपा रोड (पीपल चौक) के पास
13. राजस्थान भवन के पास

मुरहू क्षेत्र अन्तर्गत :-

14. डूडरी चौक के पास
15. स्टेट बैंक मोड़ मुरहू
16. मुरहू बाजार चौक
17. महादेव मण्डा चौक मुरहू
18. मुरहू बजार से नीचे

कर्रा क्षेत्र अन्तर्गत :-

19. कर्रा धाना के सामने चौक
20. कर्रा मस्जिद चौक
21. कर्रा पोस्ट ऑफिस के पास बिनोद सोनी के घर के सामने बिजली पोल में